-:निर्णय:-

दिनांक 27.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 परस्पर पिता पुत्र है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम इस प्रकार से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है कि चक 11 जे.डी.डब्ल्यू खाता सं. 59/61 प.न. 65/232 मुन. 6 किला नं. 21 ता 23 प.न. 65/233 मु.न. 14 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 3.036 है. चक चक 13 जे.डी.डब्ल्यू खाता सं. 121/95 प.न. 64/232 मु.न. 4 किला नं. 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, कुल 2.277 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता। दोनों खातों का योग 5.313 हैक्टेयर जिसकी प्रमाणित जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि वाद की दफा 3 में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कुल 5.313 है. कृषि भूमि पैतृक संपति है जो प्रतिवादी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक व अधिकार है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से अर्सा पूर्व घरेरू बंटवारा हो गया था तथा मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के कब्जा काश्त में है। इसी अनुसार रकमराज व आबियाना अदा करते आ रहे है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है-

(क) वादी सं. 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 13 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2074 से 77, खाता सं. 121/95 प.न. 64/232 मु.न. 4 किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, कुल 1.771 है.।

(ख) वादी सं. 2 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 11 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2075-78, खाता सं. 59/61 प.न. 65/233 मु.न. 14 किला नं. 1, 8 ता 13 कुल 1.771 है.।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 11 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2075-78, खाता सं. 59/61 प.न. 65/232 मुन. 6 किला नं. 21 ता 23 प.न. 65/233 मु.न. 14 किला नं. 2 ता 3, कुल 1.265 है. चक 13 जे.डी.डब्ल्यू खाता सं. 121/95 प.न. 64/232 मु.न. 4 किला नं. 14, 15/1, 15/2, कुल 0.506 है. दोनों खातों की कुल 1.771 है.।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी सुजानगढ़

यह है कि वाद दफा 3 में वर्णित कृशि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य वादपत्र की
ा 4 अनुसार घराघरू विभाजन किया हुआ है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त
लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक घराघरू विभाजन के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण
हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। इस
रण वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की चरण 4 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की खातेदारी
धेकारों की घोषणा करवाकर इसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई दफा निवेदन किया वे मुताबिक विभाजन न्यायालय
कर खाता अलग अलग करवा ले तो टालमटोम करते रहे व आखिरकार स्पश्ट इनकार हो गय यही
द का कारण है।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं.
की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह निर्वाण ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण सं. 1, 2 व प्रतिवादी
. 1 हाजिर न्यायालय आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने
पथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का
ोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने
हस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया
बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध
स्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:-

(क) वादी सं. 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 13 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2074 से 77, खाता सं. 121/95 प.न. 64/232 मु.न. 4 किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, कुल 1.771 है.।

(ख) वादी सं. 2 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 11 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2075-78, खाता सं. 59/61 प.न. 65/233 मु.न. 14 किला नं. 1, 8 ता 13 कुल 1.771 है.।

(ग) प्रतिवादी सं. 1 को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण:-

चक 11 जे.डी.डब्ल्यू ज.स. 2075-78, खाता सं. 59/61 प.न. 65/232 मुन. 6 किला नं. 21 ता 23 प.न. 65/233 मु.न. 14 किला नं. 2 ता 3, कुल 1.265 है. व चक 13 जे.डी.डब्ल्यू खाता सं. 121/95 प.न. 64/232 मु.न. 4 किला नं. 14, 15/1, 15/2, कुल 0.506 है. दोनों खातों की कुल 1.771 है.। उक्तानुसार वादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा प्रश्नगत खातों से कम करने के आदेश दिए जाते है एवं दफा (क) ता (ग़) अनुसार खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ